विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

जनभागीदारी से ही साकार होगा विकसित राजस्थान-2047 का स्वप्न

लोकतांत्रिक सरकार का सबसे उज्ज्वल पक्ष योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में जनभागीदारी तय करना होना चाहिए। जब धरातलीय आवश्यकताओं और भागीदारी के आधार पर कोई योजना तैयार की जाती है तो सही मायने में विकास धरातल पर उतर पाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यही दूरगामी सोच निश्चित रुप से नये और विकसित राजस्थान की इबारत लिखने में कारगर साबित होगी। विकसित राजस्थान- 2047 के स्वप्न को साकार करने और समग्र व समन्वित विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विजनरी सोच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जनभागीदारी से कोई योजना तैयार होती है तो वह स्थान विशेष की आवश्यकता, परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होती है और इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार करते समय मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल करने पर जोर और निर्देश दिए है और इसके पीछे उनका साफ संदेश है कि इससे जनआंकाक्षाओं के अनुरुप काम हो सकेगा। होता यह है कि वातानुकूलित कमरों में बनने वाली योजनाएं कागजों में तो अच्छी लगती है पर धरातल पर ऐसी योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती है। यही कारण है कि मास्टर प्लान बनते और बिगड़ते देखना आम है। इसलिए सरकार की जनभागीदारी और आवश्यकताओं को देखते हुए मास्टर प्लान बनाने का संकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नेता की दूरदृष्टि होती है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उनकी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। इससे योजनावद्ध तरीके से विकास की गंगा का प्रवाह हो सकता है। वैसे भी देखा जाए तो मास्टर प्लान बनाते समय दीर्घकालीन वीजन रखना आवश्यक होता है। भविष्य की संभावनाओं को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और यह माना जाता है कि मास्टर प्लान विकास का रोडमेप होता है और उसमें बार बार बदलाव उचित भी नहीं माना जा सकता। अत्यधिक शहरीकरण वैश्विक समस्या है और उसका हल खोजना लगभग सभी के लिए चुनौती पूर्ण कार्य है। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच व मानना यह है कि मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना होना चाहिए ताकि ग्रामीणों का पलायन रूके और शहरों पर भार ना पड़े। उन्होंने साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं बनाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए। देखा जाए तो आधारभूत सुविधाएं जब गांवों में ही उपलब्ध होने लगेगी और बेहतर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित होती है तो ग्रामीण युवाओं के पलायन और शहरों पर अत्यधिक दबाव को आसानी से कम किया जा सकता है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि ऐसी आधारभूत सुविधाएं हैं जो यदि शहरों की तरह ही गांवों में उपलब्ध हो तो गांवों से पलायन को आसानी से कम किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार करते समय मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल करने पर जोर और निर्देश दिए है और इसके पीछे उनका साफ संदेश है कि इससे जनआंकाक्षाओं के अनुरुप काम हो सकेगा। होता यह है कि वातानुकूलित कमरों में बनने वाली योजनाएं कागजों में तो अच्छी लगती है पर धरातल पर ऐसी योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती है। यही कारण है कि मास्टर प्लान बनते और बिगड़ते देखना आम है। इसलिए सरकार की जनभागीदारी और आवश्यकताओं को देखते हुए मास्टर प्लान बनाने का संकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नेता की दूरदृष्टि होती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विरासत को संजोने की सोच भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को केन्द्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की परंपराएं, शिल्प कलाएं, धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप योजनाएं बनाई जाए। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को संरक्षित और संवर्धित करना हो। स्थानीय स्तर पर और पारंपरिक उद्योग धन्धों के विकास की रुपरेखा तय होती है तो उससे रोजगार और आर्थिक विकास की आधारभूमि स्वत: तैयार होती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान- 2047 को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकता और मंशा स्पष्ट कर दी है। अब इसके मास्टर प्लान को तैयार करने की जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी पर आ जाती है। सरकारी मशीनरी को मुख्यमंत्री की भावना और मंशा के अनुरुप मास्टर प्लान तैयार करते समय अधिक से अधिक जनभागीदारी और स्थानीय आवश्यकताओं और संभावनाओं का समावेश करना होगा। सरकारी मशीनरी के साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों और आमनागरिकों का भी दायित्व हो जाता है कि वे मास्टर प्लान तैयार होते समय व्यावहारिक सुझाव दें, भविष्य की आवश्यकताओं के आंकलन और समग्र विकास की रुपरेखा बनबाने में भागीदार बने। सभी की सक्रिय व समन्वित भागीदारी से ही विकसित राजस्थान -2047 के सपने को साकार किया जा सकता है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरूवार 12 मार्च, 2026

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र रात्रि 12:44 तक, सिद्धि योग प्रात: 9:59 तक, तैतिल करण सायं 5:24 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भगवान आदिनाथ जयन्ती, और तप कल्याणक दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:12 तक, चर 11:09 से 12:37 तक, लाभ-अमृत 11:37 से 3:33 तक, शुभ 5:01 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:44, सूर्यास्त 6:30

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक कार्यों में संतुलन बना रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। मित्रों/रिश्तेदारों से वाद-विवाद हो सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

कन्या
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
परिवार में चल रही स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृश्चिक
घर-परिवार के कार्यों के कारण मानसिक तनाव रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। वाणी पर संयम रखें।

मीन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

व्यापक सार्वजनिक हित की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल: राजस्थान का 'अशांत क्षेत्र विधेयक-2026'

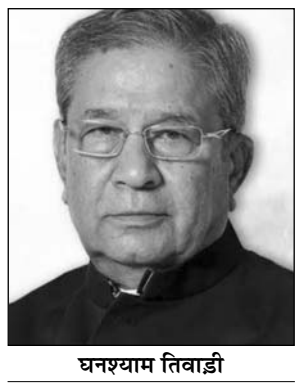

घनश्याम तिवाड़ी

राजस्थान अपनी बहुलतावादी संस्कृति, सामाजिक सह-अस्तित्व और साझा विरासत के लिए जाना जाता है। यहां सदियों से विभिन्न समुदायों ने साथ-साथ रहकर विश्वास, सहिष्णुता और सामाजिक संतुलन की परंपरा स्थापित की है। किंतु बदलते सामाजिक परिवेश, तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और कभी-कभी उत्पन्न होने वाले साम्प्रदायिक तनावों के कारण इस संतुलन के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। ऐसे समय में सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए दूरदर्शी नीतियों और सशक्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

इसी पृष्ठभूमि में 'राजस्थान अशांत क्षेत्र विधेयक-2026' सामाजिक स्थिरता, व्यापक सार्वजनिक हित की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 6 मार्च 2026 को पारित यह विधेयक दंगा या साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति के अनियंत्रित तथा दबावपूर्ण हस्तांतरण को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। इस कानून के अनुसार राज्य सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र, कॉलोनी या वार्ड को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित कर सकेगी जहां सामाजिक तनाव या असामान्य परिस्थितियों के कारण लोगों पर संपत्ति बेचने का दबाव बनता हो। ऐसे क्षेत्रों में बिना एडीएम या एसडीएम की अनुमति के संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य घोषित किया जा सकेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का लेन-देन पूरी तरह स्वैच्छिक और पारदर्शी हो तथा किसी व्यक्ति को भय, दबाव या असुरक्षा की स्थिति में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

यह देखा गया है कि किसी छोटी घटना, अफवाह या तनावपूर्ण स्थिति के बाद कुछ परिवार असुरक्षा की भावना के कारण अपनी पीढियों पुरानी संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचकर पलायन करने को विवश हो जाते हैं।कागजों पर यह प्रक्रिया भले ही स्वैच्छिक दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता में यह भय, सामाजिक दबाव और असुरक्षा की भावना का परिणाम होती है। धीरे-धीरे ऐसे क्षेत्रों की मिश्रित सामाजिक संरचना कमजोर होने लगती है और एकतरफा जनसांख्यिकीय परिवर्तन सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने लगते हैं।

इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस विधेयक की पहल की। राज्य मंत्रिमंडल की 21 जनवरी 2026 को हुई बैठक में इसके प्रारूप को स्वीकृति दी गई और अब विधानसभा से पारित होकर यह कानून सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर सामने आया है। संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रशासनिक अनुमति की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सौदा वास्तविक बाजार मूल्य पर और पूर्ण सहमति के साथ हो रहा है। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता किसी प्रकार के दबाव या भय में निर्णय नहीं ले रहा।

विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू किरायेदारों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। साम्प्रदायिक तनाव के समय किरायेदार अक्सर सबसे अधिक असुरक्षित स्थिति में होते हैं और कई बार उन्हें जबरन मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है। नए कानून में ऐसे किरायेदारों को जबरन बेदखली से संरक्षण देने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे सामाजिक न्याय की भावना को मजबूती मिलती है। कानून के उल्लंघन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। इसके तहत 3 से 5 वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के प्रावधान देखने को मिलते हैं। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण से पहले जिला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। इसी प्रकार असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी भूमि हस्तांतरण और स्थानीय जनसंख्या की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधान लागू हैं।

राजस्थान जैसे राज्य के लिए इस कानून का महत्व एक और दृष्टि से भी बढ़ जाता है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग एक हजार किलोमीटर से अधिक लंबी है और यह पाकिस्तान से सटी हुई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती जिलों में सामाजिक स्थिरता और जनसंख्या का संतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में भय, असुरक्षा या आर्थिक दबाव के कारण स्थानीय लोग अपनी भूमि और संपत्ति छोड़ने लगें, तो यह केवल सामाजिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी बन सकती है। इन क्षेत्रों में स्थिर और संतुलित सामाजिक संरचना ही सीमा की पहली सुरक्षा पंक्ति होती है। ऐसे में ऐसे कानून, जो लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा करें और अनावश्यक पलायन को रोकें, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप माने जाते हैं।

इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि सामाजिक सौहार्द, जनसांख्यिकीय संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह कानून किसी प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति गठित करने का भी प्रावधान किया है। यह समिति डिस्टर्ब एरिया की स्थिति, वहां की सामाजिक परिस्थितियों और जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करेगी तथा प्रशासन को आवश्यक सुझाव देगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून का उपयोग विवेकपूर्ण, संतुलित और पारदर्शी ढंग से किया जाए।

नए कानून के साथ कुछ आशंकाएं और बहसें स्वाभाविक होती हैं। लोकतंत्र में यह एक स्वस्थ प्रक्रिया है। किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि कानून के मूल उद्देश्य को समझा जाए। यदि किसी व्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक सौहार्द, न्यायपूर्ण व्यवस्था, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। राजस्थान का 'अशांत क्षेत्र विधेयक-2026' इसी व्यापक सोच का परिणाम है। यह केवल संपत्ति के लेन-देन को नियंत्रित करने वाला कानून नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन, सामुदायिक विश्वास, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की उस परंपरा को सुरक्षित रखने का प्रयास है, जिस पर राजस्थान की पहचान टिकी हुई है।

आज जब समाज अनेक प्रकार की नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ऐसे संतुलित और दूरदर्शी कानून यह संदेश देते हैं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

–घनश्याम तिवाड़ी,
राज्यसभा सदस्य

प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ : भूमंडल के प्रथम कर्मपथ प्रदर्शक

भाग चन्द जैन मित्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरूदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षित्रय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक कर्मों और कौशलों का ज्ञान दिया। इसी कारण उन्हें भूमण्डल का प्रथम कर्मपथ प्रदर्शक माना जाता है।

षट्कर्मों का ज्ञान

भगवान आदिनाथ ने मनुष्य को आजीविका के लिए छह प्रमुख कर्म बताए, जिन्हें षट्कर्म कहा गया-

असि – शस्त्र चलाकर रक्षा करना
मसि – लेखन एवं विद्या
कृषि – खेती करना
वाणिज्य – व्यापार
शिल्प – हस्तकला एवं निर्माण कार्य
विद्या – ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना

इन्हीं के आधार पर समाज में कार्य विभाजन हुआ। असि का कार्य करने वाले क्षित्रय, कृषि-वाणिज्य से जीविका चलाने वाले वैश्य तथा शिल्प एवं सेवा कार्य करने वाले शूद्र कहलाए। इस प्रकार मानव समाज में व्यवस्थित आर्थिक और सामाजिक जीवन की नींव पड़ी।

पारिवारिक जीवन : ऋषभनाथ का विवाह यशस्वती और सुनंदा से हुआ। यशस्वती से भरत सहित 100 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी हुई, जबकि सुनंदा से बाहुबली नामक पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री हुई। उनके पुत्र भरत आगे चलकर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा।

महिला शिक्षा और सशक्तिकरण

भगवान आदिनाथ ने महिला शिक्षा को भी महत्व दिया। उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिपि विद्या और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान दिया। इन दोनों ने आगे चलकर इन विद्याओं का प्रसार समाज में किया। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया।

सामाजिक व्यवस्था और कला

समाज को सभ्य और संगठित बनाने के लिए आदिनाथ ने पुरुषों को 72 कलाओं का तथा महिलाओं को 64 गुणों का ज्ञान कराया। इन शिक्षाओं से परिवार, समाज और संस्कृति में संतुलन बना। उन्होंने गृहस्थ जीवन, नैतिकता, सामाजिक व्यवहार और संस्कृति को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुशासन की स्थापना : भगवान ऋषभनाथ ने अयोध्या में शासन-व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने नियम-सिद्धांत, अधिकार-कर्तव्य तथा दंड व्यवस्था निर्धारित की। राजा नाभिराज ने देवों और इन्द्र के आग्रह पर उनका राज्याभिषेक किया। राजा बनने के बाद उन्होंने धर्म, अर्थ और पुरुषार्थ का उपदेश देकर समाज को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन कर प्रशासन को संगठित किया। कहा जाता है कि उन्होंने तिरेसठ लाख पूर्व तक राज्य किया और प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी।

वैराग्य की प्रेरणा

एक बार दरबार में नीलांजना नामक नर्तकी नृत्य करते-करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह घटना देखकर आदिनाथ को जीवन की नश्वरता का बोध हुआ और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने राज्य और सांसारिक वैभव का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया और अन्य पुत्रों को अलग-अलग राज्य सौंप दिए। राज्य को 52 जनपदों में विभाजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने वस्त्र त्याग कर दिगंबर अवस्था में दीक्षा ली और पंचमुष्टि से केशलोच किया। दीक्षा के साथ उन्होंने छह माह का अनशन किया और गहन तपस्या आरंभ की। प्रथम आहार और अक्षय तृतीया दीक्षा के बाद लंबे समय तक उन्हें विधिपूर्वक आहार नहीं मिला और लगभग 13 माह तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। अंतत: हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ के भाई युवराज श्रेयांस कुमार ने उन्हें नवधा भक्ति के साथ इक्षुरस का आहार कराया। यह दिन वैशाख शुक्ल तृतीया का था, जो आगे चलकर अक्षय तृतीया के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी घटना से दान की परंपरा का भी आरंभ माना जाता है।

केवलज्ञान और देशना : भगवान आदिनाथ ने लगभग एक हजार वर्षों तक कठोर तप किया। अंतत: फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान। देवताओं द्वारा निर्मित समवशरण में उन्होंने धर्म की दिव्य देशना दी। उन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र के रत्नत्रय का उपदेश दिया तथा जीव-अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष जैसे सात तत्वों का ज्ञान कराया। उनका संदेश था- अप्पा सो परमप्पा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है।

मोक्ष प्राप्ति : केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान आदिनाथ एक हज़ार वर्ष कम एक लाख पूर्व तक पृथ्वी पर रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। अंतत: माघ कृष्ण चतुर्दशी को अष्टापद कैलाश पर्वत पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गए।

आदिनाथ का महत्व : भगवान आदिनाथ को मानव सभ्यता के प्रथम मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने मनुष्य को श्रम, शिक्षा, समाज व्यवस्था और आध्यात्मिक साधना का मार्ग दिखाया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि भौतिक उन्नित और आध्यात्मिक विकास में संतुलन आवश्यक है। उन्होंने शासन, समाज और संस्कृति के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान की। सातवीं शताब्दी में आचार्य मानतुंग ने उनकी स्तुति में भक्तामर स्तोत्र की रचना की, जो आज भी जैन धर्म में अत्यंत श्रद्धा से पढ़ा जाता है। अनेक प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अवशेषों में भी ऋषभदेव की आराधना के उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार भगवान आदिनाथ केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और आध्यात्मिक चिंतन के महान मार्गदर्शक माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी मानव समाज को सत्य, संयम और आत्मकल्याण की दिशा में प्रेरित करती हैं।

-भाग चन्द जैन मित्रपुरा,
अध्यक्ष अखिल भारतीय
जैन बैंकर्स फोरम जयपुर

बीकानेर में गर्मी का असर तेज, पारा 38 डिग्री पार

■ **मौसम विभाग का येलो अलर्ट; आज तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की आशंका**

बीकानेर । यहां मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। शहर में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से अधिक माना जा रहा है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने बीकानेर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में पारा और बढ़ने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बीकानेर में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। दिन के समय तेज धूप के कारण दोपहर में गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जबकि रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के पहले पखवाड़े में ही तापमान का 38 डिग्री से ऊपर पहुंचना सामान्य से अधिक गर्मी का संकेत माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बीकानेर में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को समय से पहले ही गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ताकि लू और गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1391 विद्यार्थियों को मिलेंगी उपाधियां

जोधपुर, (कासं)। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में 20 मार्च को आयोजित होने वाले 9वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को कुलगुरु प्रोफेसर (वैद्य) गोविंद सहाय शुक्ल की अध्यक्षता में विभिन्न समितियों की बैङ्गक आयोजित की गई। बैङ्गक में सभी समितियों द्वारा की जा रही तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की गई।

कुलगुरु प्रोफेसर (वैद्य) गोविंद सहाय शुक्ल ने बैङ्गक में सभी समितियों से उनके जिम्मेदार कार्यों की अद्यतन जानकारी ली और समारोह को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समितियों के सदस्यों ने अब तक की तैयारियों और आगामी कार्यों के बारे में कुलगुरु को विस्तार से अवगत कराया।

दीक्षांत समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजाराम अङ्गावाल ने बताया कि 20 मार्च को अपरान्ह 3 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की गरिमामयी उपस्थिति में विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा।

इस समारोह में विश्वविद्यालय के कुल 1391 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही विभिन्न संकायों के मेधावी विद्यार्थियों को पांच स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे।

सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव और प्रशिक्षण की सुविधा अब जोधपुर में

जोधपुर, (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में विकसित किए जा रहे वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के लिए रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 195 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से यहां अत्याधुनिक बहुद्देश्यीय वर्कशॉप और विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाङ्गी ने बताया कि परियोजना के तहत वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के साथ-साथ आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां वंदे भारत सहित सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव से जुड़े इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों को उच्च तकनीक आधारित मशीनरी के संचालन व अनुरक्षण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने बताया ने कि भगत की कोठी वाशिंग लाइन के पास लगभग 167 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में बहुद्देश्यीय, आधुनिक तथा आवासीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे देशभर के इंजीनियर और तकनीकी स्टाफ को हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का प्रशिक्षण जोधपुर में ही उपलब्ध हो सकेगा। -हाई स्पीड रेल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा जोधपुर मेंटेनेंस डिपो और प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न विशेष विभाग स्थापित किए जाएंगे, जो अलग-अलग तकनीकी और परिचालन क्षेत्रों के लिए समर्पित होंगे। इस विकास के साथ जोधपुर देश के हाई स्पीड रेल पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। सर्वोत्तम रखरखाव सुविधाओं, केंद्रीकृत संचालन और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना का यह संयोजन न केवल क्षेत्र की रेल क्षमताओं को सशक्त बनाएगा।